पत्रांक–02/न०वि०/स्था०व्यय(आवंटन)/RRDA/106/2018–70

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 05/07/18

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थापना व्यय हेतु आय–व्ययक में उपबंधित राशि से कुल 66,00,000/– रु० (छियासठ लाख रुपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थापना व्यय हेतु आय–व्ययक में उपबंधित राशि से कुल रु० 66,00,000/– (छियासठ लाख रुपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत/आवंटित अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–05–राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना व्यय हेतु सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)–विपत्र कोड–"48S221780001050679" के अन्तर्गत बजट में उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. स्वीकृत/आवंटित अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से विपत्र के माध्यम से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी।

4. स्वीकृत/आवंटित अनुदान राशि की निकासी/व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.15 की कंडिका–5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुसार निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

प्राधिकार का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार	32/17.05.16	40,00,000	40,00,000
	194/11.12.16	20,00,000	20,00,000

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम के बजट संबंधी धाराओं के अन्तर्गत उक्त राशि को प्राधिकार की लेखा में सम्मिलित करने के उपरांत नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करेंगे। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. अनुदान राशि की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत/आवंटित अनुदान राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 02/न०वि०/स्था०व्यय(आवंटन)/RRDA/106/2018–70 राँची, दिनांक–05/07/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/श्री कृपाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।